

राजस्थान-सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प.1/4/11/वि/स्था/ 6371

दिनांक: 5 .05.2019

:: विज्ञप्ति ::

मण्डल की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 4740 दिनांक 16.04.2019 के क्रम में मण्डल स्तरे पर कार्यरत स्थाई/अस्थाई च0श्रे0कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति की अंतरिम (प्रोवीजनल) वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। उक्त वरिष्ठता सूची में आंशिक संशोधन कर क्रमांक 29 पर अंकित कार्मिक की शैक्षणिक योग्यता का सही अंकन किया गया है। उक्त संशोधन उपरांत उक्त अंतरिम वरिष्ठता सूची को अंतिम (फाईनल) वरिष्ठता सूची घोषित किया जाता है।

यह सूची जन्मतिथि के संबंध में प्रमाणित नहीं मानी जावेगी।

आदेशानुसार,

अति० निबन्धक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: सम/ 6372-6520

दिनांक: 15.05.2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष उक्त वरिष्ठता सूची संबंधित कार्मिकों को तामील कराकर प्राप्ति की सूचना मण्डल में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावे :-

1. निदेशक, आर. आर. टी. आई., अजमेर ।
2. राजस्व अपील प्राधिकारी, समस्त ।
3. सयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) राजस्व मण्डल राज० अजमेर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. प्रधानाचार्य, ए.पी.आर.टी., टोंक ।
5. विशेषाधिकारी, (उप विधि परामर्शी) मु० जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर/जोधपुर
6. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण स्कूल, टोंक/कोटा/देबारी(उदयपुर)/अलवर।
7. संबंधित सुश्री/ श्रीमती/ श्री
- राजस्व मण्डल, अजमेर/ कार्यालय
8. आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली ।

अति० निबन्धक (प्रशासन)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

